आवश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःप.1(29)(2)रानिआ / लेखा / बजट / 2019–20 / 6163 दिनांकः 20/12/19

प्रेषक,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायत आम चुनाव 2020 की वीडियोग्राफी की व्यय सीमा निर्धारण बाबत्।

संदर्भः– आयोग का पत्र क्रमांक प.7(1)(3) पंचा / रानिआ / 14–15 / 2750 दिनांक 07.08.2019

पंचायत आम चुनाव 2020 के दौरान् आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने एवं राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु वीडियोग्राफी कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश आयोग के पत्र क्रमांक प.7(1)(3) पंचा / रानिआ / 14–15 / 2750 दिनांक 07.08.2019 में प्रदान किये हुए है। आगामी पंचायत आम चुनाव 2020 के लिए की जाने वाली वीडियोग्राफी पर होने वाले अत्यधिक व्यय में मित्तव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार व्यय सीमा निर्धारित की जाती हैः–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वीडियो ग्राफर की संख्या
1	चुनाव पर्यवेक्षक (चुनाव क्षेत्र में नियुक्ति के दौरान्)	एक
2	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)	एक
3	रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत समिति / जिला परिषद निर्वाचन)	एक
4	सहायक रिटर्निंग ऑफीसर (पंचायत समिति / जिला परिषद निर्वाचन)	एक
5	जिला कन्ट्रोल रूम (यदि आवश्यकता हो)	अधिकतम तीन
6	अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर (कुल बूथों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत तक)	एक–एक वीडियोग्राफर प्रति मतदान दिवस

वीड़ियोग्राफी के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि, आदर्श आचार संहिता की पालना के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नामांकन की तिथि से मतदान दिवस, मतगणना दिवस तथा जिला प्रमुख / उपप्रमुख / प्रधान / उपप्रधान के चुनाव दिवस पर महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यकतानुसार स्वविवेक से करवा सकेंगे। जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य तथा सरपंच व पंच के मतदान दिवस पर जिला निर्वाचन

अधिकारी संवेदनशीन/अतिसंवेदनशील बूथों की (कुल बूथों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत तक) वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी। किन्तु संवेदनशील अतिसंवेदनशील बूथों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान हो तो आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाकर अतिरिक्त वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।

सरपंच/पंच के नाम-निर्देशन दिवस पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक होने पर स्वविवेक से वीडियोग्राफी करवा सकेंगे।

आयोग द्वारा निर्धारित सीलिंग की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता प्रतीत होने पर आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःप.1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2019-20/6164-68 दिनांकः 20/12/19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. कम्प्यूटर शाखा/लेखा (आन्तरिक जाँच) शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. गार्ड फाईल।

(नारायण लाल मीणा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।